



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



DIA
DICIAL

EW 839995


दस्तावेज न्यास विलेख

मैं नीतू सिंह पल्ली श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, शंकर आई हास्पिटल, रुहदटा, जौनपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं 'श्री सौई सेवा न्यास/द्रस्ट', शंकर आई हास्पिटल, रुहदटा, जौनपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना करती हूँ एवं अपने हस्ताक्षर से साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षरित कर आज दिनांक 24-05-2019 को पंजीकृत कर रही हूँ।

1. द्रस्ट/न्यास की विधिक प्रतिबद्धता - 'श्री सौई सेवा न्यास/द्रस्ट', जिसे इण्डियन द्रस्ट ऐक्ट 1982 के अन्तर्गत गठित एवं रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस द्रस्ट पर इण्डियन द्रस्ट ऐक्ट 1982 के समस्त नियम उपनियम लागू होंगे, जो इस द्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विभिन्न है। 'श्री सौई सेवा न्यास/द्रस्ट', न्यास अधिनियम के नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।
2. द्रस्ट/न्यास का नाम - 'श्री सौई सेवा न्यास/द्रस्ट'
3. द्रस्ट/न्यास का स्थायी पता - शंकर आई हास्पिटल, रुहदटा, जौनपुर
4. द्रस्ट/न्यास का कार्य केन्द्र - सम्पूर्ण भारत।

Nedu Singh

3991 २५५१७ १००)
संग्रहीत द्वारा अधिकारी के द्वारा आवश्यकता
निर्णय
दिनांक २२८। ६।१९८८





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203929

5. द्रस्ट में आजीवन द्रस्टी/पदाधिकारी व्यक्ति जो नामित किये गये हैं, जो आजीवन पदाधिकारी/संस्थापक द्रस्टी होंगे, जो निम्न हैं -

क्र. सं.	नाम द्रस्टी	पिता/पति	पद	व्यवसाय	पता
1	राजेन्द्र प्रताप सिंह	स्वा. रामलक्ष्मण सिंह	सदस्य	व्यापार	पश्चिमी सहकारी बालोनी, उमरपुर हरिहरपुर, रुपेती सदर, जीनपुर

6. द्रस्ट/न्यास का स्वरूप

- यह द्रस्ट एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है, जो जाति धर्म वर्ग सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जनहित सर्वजनहिताय सर्वजन सुखाय के लिए कार्य करेगा।

7. लाभग्राही

- हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई व बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समरत लोगों को बिना किसी भेद-भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव-मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह द्रस्ट कार्य करेगा एवं सभी लोगों को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा।

8. हितग्राही व्यक्ति

Nectu Singh

- द्रस्ट/न्यास द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। बल्कि द्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में सहायक लोक कल्याण के लिए सहाया जायेगा।

1002 २४५.१९
 दिनांक २४ मई २०१९ दीपत...
 श्रीमती/श्री... वर्षा/वृद्धी...
 निवासी... ५०..... ५०..... पंजीया...

आवेदन सं.: 201900984006017

गुरु/गुरु रोकड़िया
कोयागढ़, झज्जर, झज्जर

23 MAY 2019 *



न्यास पत्र

बही सं.: 4

रजिस्ट्रेशन सं.: 127

वर्ष: 2019

प्रतिकल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य- 0 पंजीकरण शुल्क- 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 80 योग: 580

श्रीमती नीति सिंह,
 पत्नी श्री रौलेन्ड कमार सिंह
 व्यवसाय: मृदिणी
 निवासी: शंकर आई हास्पिटल, रुहड़ा सदर ज़ोनपुर

Nectu Singh



मेरे यह लेखपत्र हम सर्वोत्तम रूप से दिनोंक 24/05/2019 एवं 03:58:56 PM बजे
 निर्बंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नीति सिंह (प्र०)
 उप निदंपक नाथ
 ज़ोनपुर
 24/05/2019


 ऑफिस शीकास्तव,
 निदंपक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203928

9. द्रस्ट के उद्देश्य –

1. समाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के सालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, मैडिकल, इन्जीनियरिंग, विधिक, व्यापसाधिक, तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका संचालन करना। स्नातक, प्रासनातक, चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
2. समाज के सभी वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं उनका संचालन करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
3. समाज के निवेद असहाय एवं निर्धन परिवार के बच्चों की छात्रवृत्ति एवं अनुदान की व्यवस्था करना।
4. नवयुवकों एवं शिक्षित वरोजगारों का स्पति रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना।
5. प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार-एवं-प्रसार हेतु कार्य करना तथा दान/अनुदान की व्यवस्था करना।
6. समाज में व्यापसाधिक तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना।
7. ग्रामीणांचलों में अच्छी शिक्षा हेतु विद्यालयी शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
8. रोजगार के अधिक अवसर दिलाने हेतु तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा प्रचार-प्रसार का कार्य करना तथा विधि शिक्षा को बढ़ावा देना।

Neetu Singh



401 २५१९ ३
लगाता..... भेजा..... दिन
६/८/१९७१ - ३११..... वर्ष
सिलसी..... १०..... ११..... रुपये

पुस्तकालय
Application No.: 20190098400601 कोल्हापुर, गोवा

23 MAY 2023

Book 0-4 Registration number 0-127

Year: 2019

The amount of money received and received from the execution instrument

Trustee: I

Mrs. Neetu Singh, wife Shailendra Kumar Singh

Resident: Shankar Eye Hospital, Ruhatta Sadar
Jaipur

Business: Housewife

Nectu Singh



Accepted the execution. Whose identity

Identifiers

Mr. Manoj Kumar Singh, son of Mr. Rakumari

Resident: Arslan Gurcanli Haydar Sader Jaappur

business trade

ମୋହନ୍ତିର



Identifiers 2

Shri Vivek Kumar Singh, son Shri Rajendra Pratap Singh

Resident: Cooperative Colony Umapura Haji Sadar
Jampur

business trade

A circular postmark from Paris, France, dated October 18, 1892. The text "PARIS" is at the top, "1892" is at the bottom, and "OCTOBRE" is in the center.

Hours of the registration office

Neciam Tripathi (PR)
Deputy Registrar: Sadar
Jhansi

Ankit Srivastav
Prinsep Clark

Print



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203927

- 9 मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना एवं जल्दी कदम उठाना।
- 10 विकलांग, मूळवधि, नेत्रहीन यात्रियों के हेतु विद्यालय का संचालन करना तथा आयास भोजन कपड़ा शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
- 11 यात्रियों/महिलाओं के लिए कढाई, हस्तकला, घिरकला एवं खादी ग्रामोदयों सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना। गरीबी रेखा के नीचे जीवनव्यापन करने वाले परिवारों के बच्चों हेतु आयासीय विद्यालयों की स्थापना करना।
- 12 ट्रस्ट किसी भी नई संस्था का संचालन परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से खोलकर कर सकता है।

10. ट्रस्ट की सदस्यता-

1. संस्थापक ट्रस्टी

- ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार की होगी। ट्रस्ट पंजीकरण दस्तावेज में उल्लिखित समस्त संस्थापक ट्रस्ट के संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी होंगे, जिन्हें किसी भी अधिकार के रिक्त ट्रस्टी को मनोनीत करने एवं ट्रस्ट के संचालन और नियन्त्रण का सर्वाधिकार प्राप्त होता है। इन अधिकारों का अपने व्यक्तिगत वाल में ही अपने उत्तराधिकारी वा चयन करने का अधिकार होगा या ट्रस्ट में निहित अधिकार के अनुसार उत्तराधिकारी होगा। जिन्हें अपने पूर्णपत्री ट्रस्टी की भाँति समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इनकी सदस्यता का अधिकार मृत्यु या स्वतः त्यागपत्र द्वारा ही संतुष्ट होता होगा। संस्थापक आजीवन ट्रस्टी हारा अधिकारकाल में उत्तराधिकारी वा चयन न करने पर, उनके बच्चे में से योग्य व्यक्ति अन्य न्यासियों की सहमति पर उत्तराधिकारी होगा।

Nectu Singh



4000 21.519 521
४००० २१.५१९ ५२१

३८-३८१

गुरुदास लोहित
कलाकार दिल्ली

23 MAY 2013





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203926

- 2. मुख्य द्रस्टी
- नीतू सिंह घलनी शीलेन्द्र कुमार सिंह, शंकर आई हास्पिटल रुहटा, सदर, जौनपुर
- 3. मुख्य संरक्षक
- शीलेन्द्र कुमार सिंह – किसी भी दशा में किसी भी निर्णय पर मुख्य संरक्षक का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
- 3. सहायक द्रस्टी
- 1. राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रामलखन सिंह, पश्चिमी सहकारी कालोनी, उमरपुर हरियाणा, जौनपुर, रायली, सदर, जौनपुर
- 11. द्रस्ट की सदस्यता समाप्ति
 - 1. मृत्यु हो जाने पर।
 - 2. स्वतः त्यागपत्र देने पर।
 - 3. पागल या दिवालिया होने पर।
 - 4. कदाचार के गम्भीर मामलों में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
 - 5. द्रस्ट विरोधी कार्य करने एवं अनुशासनहीनता के दण्ड स्वरूप।
- 12. संस्थापक / आजीवन द्रस्टियों के अधिकार व कर्तव्य –
 - 1. द्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेना।
 - 2. द्रस्ट के द्वारा संचालित परियोजनाओं के संचालन में समितियों, उप समितियों का गठन करना।

Nectu Singh

3999 २१.५.१७
क्रमांक..... तिथि..... स्थान.....
री/लीसली/दुरा..... दुरा/स्टोरी/पर्सी.....
निवासी..... नं..... जिल्हा.....

मुख्यमंत्री कार्यालय
गोवा, भारत

23 MAY 2013



भारतीय गैर न्यायिक

**पचास
रुपये
₹.50**

पात्रता

**FIFTY
RUPEES
Rs.50**

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203925

3. आवश्यकतानुसार द्रस्ट के नियम, उपनियम बनाना, संशोधन करना तथा उनको क्रियान्वित करना।
4. द्रस्ट के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत प्रदान करना एवं द्रस्ट का वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा स्वीकृत करना।
5. द्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय पर अस्तिम निर्णय देना।
6. अपने जीवन-काल में ही अपने उत्तराधिकारी का घग्न करने का अधिकार।
7. द्रस्ट के आजीवन द्रस्टियों की संख्या को संस्थापक/आजीवन द्रस्टियों द्वारा सर्वसम्मति से बढ़ाया जा सकता है।
8. अन्य वे सभी कार्य करना, जो द्रस्ट एवं समाज के हित में आवश्यक हो।

नोट- संस्थापक/आजीवन द्रस्टी की रिप्रित की पूर्ति संस्थापक/आजीवन द्रस्टियों के वंशानुक्रम/जीवन-काल में ही नामित किसी एक उत्तराधिकारी को द्रस्ट में सदस्य/पदाधिकारी/मुख्य द्रस्टी के अधिकार प्राप्त होंगे, जो संस्थापक/आजीवन द्रस्टी के ही उत्तराधिकारी होंगे।

13. मुख्य द्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. मुख्य द्रस्टी ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे।
2. द्रस्ट के लिए दान, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदें देना।
3. द्रस्ट की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।

Neetu Singh



त्रिपुरा असम का
संघर्ष - स्वतंत्रता आनंद
संघर्ष..... १०..... बाब

पुस्तकालय
गोप्य गोप्य



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 225714

4. द्रस्ट से सम्बन्धित लेखों विलेखों, बिलों आदि पर हस्ताक्षर करना एवं उसे जारी करना।
5. द्रस्ट के लिए चल व अचल सम्पत्ति खरीदना, बेचना, रेहन रखना, ब्रह्म लेना, अनुदान लेना, पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्त करना, निष्कासन करना व किसी सकाम अधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या निरस्त करना। द्रस्ट से सम्बन्धित घल अचल सम्पत्ति पर समस्त अधिकार मुख्यद्रस्टी के होंगे।
6. द्रस्ट द्वारा वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, वैतन, वैतनवृद्धि तथा अन्य देश धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना एवं वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निलम्बन एवं निष्कासन करना।
7. अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना एवं उसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।
8. द्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबन्धन बनकर कार्य करना।
9. समस्त पत्राधार एवं वित्तीय नियन्त्रण के अधिकार का प्रयोग करना एवं अन्य वे सभी कार्य जो विवाद का विन्दु हो, उसमें अन्तिम एवं बाध्यकारी निर्णय देना।
14. सहायक द्रस्टी के अधिकार व कर्तव्य –
 1. द्रस्ट एवं समाज की उन्नति में कार्य करना।
 2. सामाजिक हित में अच्छे सुझाव देना।

Neetu Singh



३०९८ २१५८८
३०९८



भारतीय गैर न्यायिक

**पचास
रुपये**

₹.50

भारत

**FIFTY
RUPEES**

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 225713

3. मुख्यद्रस्टी का सहयोग करना एवं मुख्यद्रस्टी द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना।
15. द्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति – द्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष तथा एक सदस्य होंगे।
16. द्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य – द्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति द्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी, एवं द्रस्ट के संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।
17. द्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष

1. द्रस्ट एवं द्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं की बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना, रसीद काटना, प्रबन्धक से विचार-विमर्श कर भीति निर्धारण करना, किसी विषय पर मतदान की रिप्टि के बराबर मत होने पर मतदान करना। कार्यवाहियों की स्वीकृति देना।

प्रबन्धक – द्रस्ट के संचालन के लिए सभी शैक्षिक कार्य करना/ व्यवस्था करना/ मुख्य द्रस्टी द्वारा दिये गये कार्य का संचालन करना। प्रबन्धक आजीवन मुख्यद्रस्टी के मृत्यु के उपरान्त प्रबन्धक ही मुख्य द्रस्टी होगा एवं प्रबन्धक पद खाली होने पर जो आजीवन द्रस्टी सदस्य है, वही प्रबन्धक होगा। अध्यक्ष की सहमति से बैठक बुलाना, नये न्यासियों को न्यासी बनाना, नये न्यासियों को न्यासी बनाना, दानदाताओं से चन्दा प्राप्त करना, मान्यता सम्बन्धी कार्यवाही करना, एकल खाता या कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त खाता खोलकर संचालित करना, प्रबन्धक करना, द्रस्ट एवं द्रस्ट द्वारा स्थापित संस्था का प्रबन्धकत्व करना, संचालित करना, द्रस्ट से सम्बन्धित रामस्त कार्य।

Necu Singh



3996 २०१८ १९ ५६
क्रमांक.....
ही/संग्रहीत/उत्तर.....
निवासी.....पा.....ना.....पा.....

मु०/उ० प्र० ए० अ०
देल्ही, जैनपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
उपरोक्तिया
तोप्रापार, जौनपुर

EW 839999

उपाध्यक्ष

- आध्यक्ष की अनुपरिधि में आध्यात के कार्यों को सम्पादित करना।

कोषाध्यक्ष

- ट्रस्ट के जाय-व्यय के लेखा-जोखा को विवरण तैयार करना, रख-रखाव व अनुमोदन करना।

विवादित स्थिति का निर्णय -

ट्रस्ट में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर ट्रस्ट के संस्थापक न्यासीगण दस्तावेज के मुताबिक एवं बहुमत से सहमत निर्णय लेना, ट्रस्ट एवट के नियमों के अनुसार ही समस्त विवादों का निपटारा होगा।

ट्रस्ट के रिकार्ड एवं अभिलेख -

एजेण्डा रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैरबुक बाजार, फाइल रसीद बही, पासबुक, चैकबुक निरीक्षण रजिस्टर, उपरिधि रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर एवं अन्य वे सभी कागजात जो ट्रस्ट के संचालन में आवश्यक हों, ट्रस्ट के रिकार्ड एवं अभिलेख कहलायेंगे।

Neetu Singh



3995 २१५१९ ।०८।
इमारत..... नं ३७७ गोपी.....
द्वितीयवारी..... जुलाई/सुनी.....
विक्री..... वा. नो. दिन....

मु०/उ० रोडवेज
ओरापार, जीना।

वारेंट कोड





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
प्रयोक्तिया
कोणारक, जैनपुर

EW 839998

20. अनुशासनात्मक कार्यवाही –

द्रस्ट के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा होता है। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से असन्तोष होता है तो वह एक माह के अन्तर्गत मुख्यद्रस्टी के द्वारा अपील कर सकता है। संस्थापक द्रस्टियों की सहमति से मुख्यद्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय अनितम होगा।

21. नियमों विनियमों में संशोधन –

संस्थापक/आजीवन द्रस्टी सर्वसम्मति से या दो तिहाई बहुमत से द्रस्ट के नियमों विनियमों में संशोधन कर सकते हैं, जिसका पंजीयन आवश्यक न होकर केवल बैठक की कार्यवाही में पारित प्रस्ताव ही पंजीयन का भाग होगा।

22. वाद तथा प्रतिवाद –


समस्त प्रकार के वादों तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय जैनपुर उ०प्र० रहेगा तथा द्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा द्रस्ट पर दायर वाद-प्रतिवाद तथा प्रतिवाद द्रस्ट के नाम से होंगे। व्यक्तिगत नाम से ही नहीं, द्रस्ट इस प्रकार के वादों प्रतिवादों की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा कानूनी सताहकार निश्चित कर सकता है।

Nectu Singh



3994 2451T 1601
क्रमांक..... दिनांक.....
राज्यपालका नाम..... 3994..... राज्यपालका
नाम..... दिन..... दिन.....

प्रधानमंत्री
सचिव





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मिली टहाई
प्रशोकनिधि
कालापार, उन्नपुर

EW 839997

23. परियोजनाओं के संचालन में द्रस्ट की व्यापकता –

द्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक कर सकता है जो कि भारतवर्ष ने किसी भी प्रान्त जिले तहसील या गामों में घटायी जायेगी, जिसका पंजीयन आवश्यक न होकर केवल बैठक की कार्यपाली में पर्याप्त प्रस्ताव ही पंजीयन का भाग होगा।

24. पदों का सृजन –

मुख्य द्रस्टी आवश्यकतानुसार यिभिन्न कार्यकर्ताओं के तकल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकते हैं और सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकते हैं। सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उसके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सीप सकते हैं, तथा जिसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता तथा यथाविधि पारिश्रमिक चौथी भी व्यवस्था कर सकते हैं। जिसका अधिकार मुख्यद्रस्टी के ही होंगे।

25. द्रस्ट का कोष –

द्रस्ट के कोष का संचालन किसी गान्यता प्राप्ति/सरकारी दैक में द्रस्ट के नाम से खाता खोलकर किया जायेगा, जिसका संचालन मुख्य द्रस्टी द्वारा द्रस्ट के खातों का संचालन किया जायेगा।

Neetu Singh




उम्मीद
वारिष्ठ का.
कार्यालय
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
भारत
पृष्ठ 1/2

आवेदन सं.: 201900984006017

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 147 के पृष्ठ 297 से 320 तक क्रमांक
127 पर दिनांक 24/05/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

वरिष्ठ का.
कार्यालय
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
भारत
पृष्ठ 1/2



प्रिंट करें





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
पुस्तकालय
कोणारक, ओनपुर

EW 839996

- ### 26. दस्त / न्यास की सम्पत्तियाँ -

श्री सौई सेवा न्यास/ट्रस्ट के पास ट्रस्ट के संस्थापक द्वितीयों हारा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए दी गयी कुल 11000/- रुपये की चल सम्पत्ति है, जिसे ट्रस्ट के नाम खाता खोलकर किसी सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा, जिसे ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति में लगाया जायेगा।

27. यर्तमान में इस ट्रस्ट के नाम कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

टाइपकर्ता – अनन्त कुमार अस्थाना

मरणिदारकर्ता – दीपक कुमार सिंह, एडवोकेट

WATER



ମାତ୍ରାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ନିଃବିଜନା ପାଇଁ ଯହାନ୍ତକୁ ଅଛିଗେଲା
ରମଣୀ ଆହୁରି ଦେଖିଲେ ଏହାରୁ

1



प्रियकाम अन्नतार लिट ५/- श्राविंद्र धनापुर लिट
सहवारी बालोनी उत्तर पश्चिमान्ध्र
द्वंली जाँनपुर

3972 24.5.19 150
प्राप्ति..... नोटरी..... दीपा
कुपुरा..... कालियुपुरी.....
निकाली..... दू..... दू..... दू.....

मुख्यमंत्री कालिया
जैनगढ़, जैनपुर

